न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजु शर्मा ,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 08 / 2020 प्रार्थना पत्र   दिनांक 21.01.2021

अनवान

1. . हजारी पिता रामा जाट वयस्क निवासी कोशिथल तहसील भदेसर

.... प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. कालू पिता रामा भील वयस्क निवासी कोशिथल तहसील भदेसर
2. बाबरू पिता रामा भील वयस्क निवासी कोशिथल तहसील भदेसर
3. रतन पिता रामा भील भील वयस्क निवासी कोशिथल तहसील भदेसर
4. शाखा प्रबंधक , आईसीआईसीआई बैंक लि0शाखा भादसोडा तहसील भदेसर
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

..............विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान का तकारी अधिनियम ,

उपस्थित-- मोहम्मद रईस वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा कोशिथल पटवार हल्का आक्या तहसील भदेसर मे स्थित है जिसके आराजी नम्बर खाता संख्या 132 में अंकित खसरा संख्या 394, 395, किता–2 रकबा 1.67 हैक्टेयर स्थित है ।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी की उक्त आराजीयात के पास ही विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

की आराजी नमबर 397 रकबा 0.34 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 396 रकबा 0.01 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 559 / 397 रकबा 0.02 हैक्टेयर कृषि भूमि भी स्थित है । विपक्षीगण की उक्त आराजीयात से होकर ही प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित आराजीयात में आता जाता है ।

3. यह कि प्रार्थी की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने के लिए राजस्व रेकार्ड में नक्शें में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने मवेशी ट्रेक्टर फसल व कृषि औजार आदि लाने ले जाने में परेशानीयों का सामना करना पड रहा है प्रार्थी को अपनी कलम संख्या 01 मे वर्णित आराजी पर आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजीयात के अलावा कोई और विकल्प नहीं है लेकिन नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण विपक्षीगण ने प्रार्थी को उनकी आराजीयात पर आने जाने के लिए मना कर दिया है जिससे प्रार्थी का कृषि कार्य करा कठिन हो गया है ।

4. यह कि प्रार्थी की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी में आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा विकल्प में कोई रास्ता नहीं है इसलिए विपक्षीगण की आराजीयात में से रास्ता कायम कराकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना न्यायहित में आवश्यक है प्रार्थी नियमानुसार वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित रास्ते के जमीन की कीमत डी एल सी दर विपक्षीगण को अदा करने के लिए तैयार व तत्पर है ।

5. यह कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजीयात का नजरी नक्शा मय लाल स्याही से दर्शाया हुआ है जो संलग्न प्रार्थना पत्र है एवं इसके साथ ही इंटरनेट से प्राप्त तरमीम नक्शा भी आवेदन के साथ संलगन है

अतःप्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कोशिथल की खाता संख्या 132 की आराजी नमबर 394 रकबा 0.01 हैक्टेयर , आराजी नमबर 395 रकबा 1.66 हैक्टेयर कुल किता 2 कल रकबा 1.67 हैक्टेयर भूमि में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नमबर 397 रकबा 0.34 हैक्टेयर , आराजी नमबर 396 रकबा 0.01 हैक्टेयर आराजी नमबर 559 / 397 रकबा 0.02 हैक्टेयर कृषि भूमि में से रास्ता कायम करा कर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को तलब किया गया बरोज पेशी विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

न्याय निर्णय के बिन्दु तक पहुचने हेतु मौका एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये जाना उचित होने से तहसीलदार भदेसर को मौका कमीशनर नियुक्त जाकर मौका कमीशनरी रिपोर्ट तलब की गई ।

पैरोकार सरकार व कमीशनर तहसीलदार भदेसर द्वारा मौका कमीशनरी रिपोर्ट तैयार कर अपने पत्र संख्या राजस्व/2020/27 दिनांक 8–1–2021 से प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है :–

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगणों को कमीशनरी मौका रिपोर्ट पूर्व सूचना दी गई मौके पर उपस्थित पक्षकारान/मौतबिरान के हस्ताक्षर कराये गये ।
2. यह कि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज भूमि आराजी नमबर 394, 395 पर पहुंच मार्ग प्रस्तावित आराजी नमबर 407 किस्म रास्ते से एवं विपक्षीगण कालू बाबरू रतनलाल पिता रामा भील की हाल आराजी नमबर 558/397, 559/337, 560/397 एवं 397 मी में से होकर पूर्वी मेड के सहारे आवागमन करते थे परन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है प्रार्थी की जोत पर वर्तमान में पहुंच मार्ग का अभाव है । प्रस्तावित रास्ता आलौच्य आराजी पर निकटतम एवं सुविधा जनक मार्ग है ।
3. यह कि प्रार्थी की जोत पर पहुंच हेतु पूर्व से रिर्कोडेड रास्ता नहीं है । प्रार्थी द्वारा अपनी स्थाई आवश्यकता हेतु नवीन रास्ते को कायम करवाना चाहता है ।
4. यह कि प्रार्थी की आराजी नमबर 394, 395 पर पहंचने हेतु प्रस्तावित रास्ता आराजी नमबर 558/397 , 559/397 , 560/397 एवं 397 मी जो कि खातेदार कालू रतनलाल बाबरू पिता रामा भील के नाम दर्ज है कि पूर्वी मेड के साथ साथ चौडाई 4 मीटर तथा लम्बाई 152 मीटर कुल 608 वर्ग मीटर में प्रस्तावित किया जाना उचित है जिसे नक्शा ट्रेस मे दर्शाया गया है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

5. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 अनुसार राशि 73338/– रूप्ये प्रति बीघा होती है ।

भू0अ0नि0 मण्डफिया द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में विस्तृत उल्लेख करते हुए अंकित किया गया है कि प्रार्थी को आराजी पर पहुंच हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं होकर विपक्षीगण की आराजी में से ही नवीन रास्ता कायम किया जाना उचित होगा जो विपक्षीगण की आराजी की पूर्वी मेड पर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि इस प्रकार है

(अ). विपक्षी संख्या 1 कालू पिता रामा भील की आराजी नम्बर 558/397 रकबा 0.34 हैक्टेयर मे से 4 मीटर चोडाई एवं 48 मीटर लम्बाई कुल 192 वर्गमीटर

(ब) विपक्षी संख्या 3 रतन की आराजी नम्बर 560/397 रकबा 0.3400 हैक्टेयर में से 48 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चोडाई कुल 192 वर्गमीटर

(स) विपक्षी संख्या 2 बाबरू पिता रामा भील की आराजी नमबर 397 मी. में से 48 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 192 वर्गमीटर भूमि

(द) विपक्षी संख्या 1 , 2, 3 की शामलाती आराजी नम्बर 559/397 रकबा 0. 0200 हैक्टेयर में से 4 मीटर चौडाई व 8 मीटर लम्बाई कुल 32 वर्गमीटर भूमि

बहस सुनी गई । लायक अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है । अतः प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 394, 395 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मार्ग का अभाव होने से विपक्षीगण की आराजी नम्बर 558/397 ,560/397 , 397 मी. 559/397 में से होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है ।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है । राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है । खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रद्वत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 394, 395 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 558/397 ,560/397 , 397 मी. 559/397 पडती है जिसके पूर्वी मेड के साथ साथ चोडाई प्रस्तावित अनुसार 4 मीटर चौडाई तथा लम्बाई 152 मीटर कुल 608 वर्गमीटर भूमि का रास्ते हेतु उपयोग होना तहसीलदार भदेसर द्वारा कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है । उत्तरदाता की ओर से भी प्रकरण का खण्डन नहीं किए जाने से प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

1. ग्राम कोशिथल पटवार हल्का आक्या की खसरा संख्या 394 रकबा 0.0100 हैक्टैयर एवं आराजी नम्बर 395 रकबा 1.66 हैक्टैयर कुल किता–2 कुल रकबा 1.67 हैक्टैयर भूमि पर रेकोर्डेड मार्ग नहीं होकर पहुंच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की आराजी नम्बर 558 / 397 , 559 / 397 , 560 / 397 एवं 397 मी की पूर्वी मेड के साथ साथ चोडाई 4 मीटर तथा लम्बाई 152 मीटर कुल 608 वर्गमीटर भूमि का रास्ता कमीशनरी रिपोर्ट एवं नक्शें ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

2. रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली 608 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर 73338 / – रूप्ये प्रति बीघा से मूल्याकंन तहसीलदार भदेसर द्वारा अपने स्तर पर आंकलन कर भूमि कीमत की दुगुनी राशि प्रार्थी से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा ।

3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थी को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें ।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner